


AC-II

श्रीमती तीजा देवी vs रामचन्द्र वर्मा

दावा - 54/2008

अपसर, न्यायाधीश में अपसर दिया जा चुका है। पञ्चवली 2011-2019 से काबुल कार्यवाही प्रतिवर्षी सं. 2 नियत है लेकिन पकील वारी को इनके अपसर देने के उपरांत भी काबुल कार्यवाही नहीं की गई है। अतः वारी का वाद प्रतिवर्षी सं. 2 के काबुल कार्यवाही नहीं करने के कारण अवेर दिया जाता है और अवेर होने से वारी का वाद खारिज किया जाता है। पञ्चवली फौजल शुयाह होकर इफ्त मंजूर से काम होकर डाकिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/10/21 को लिखाया जाकर सरे इजलास हुआ था गणना


 सहायक कलक्टर
 जयपुर शहर द्वितीय